

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक C/1208 // आदेश //

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

कुमारी आयुषी ठाकुर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के आवेदन पर सहानभूतिपूर्वक विचार करते हुये "कक्षा 12वीं की परीक्षा" में स्वाध्यायी छात्रा के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1209 //

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. कुमारी आयुषी ठाकुर आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Ran

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक C/1210 / // आदेश //

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MAP IT) स्टेट भोपाल द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता एवं प्रमाणन (CPCT) की परीक्षा" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेंद्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1211 /

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. श्री लक्ष्मण प्रसाद बैगा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Bar

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक C/1212 / // आदेश //

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

श्री रामपाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा-2019-20" में स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1213 /

जबलपुर, दिनांक 16/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री रामपाल सिंह आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for